न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं. 13/22 मुथरी बनाम नरसी वगै.

किस्ममुकदमा– धारा..212......राज.काश्त. अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.22	आज यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अभिभाषक श्री मुकेश सिंह ने प्रस्तुत किया । सायल/प्रार्थीया अभिभाषक ने प्रार्थना पत्रानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया । सायल अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या (Prima-Facie) प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक गैरसायलान के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि गैरसायलान विवादित खसरा नम्बर 551, 552 कुल किता 02 भूमि वाके ग्राम उकरूंद, तहसील मण्डावर के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेगें। साथ ही उक्त आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत ना तो स्वयं करेगें, नाही किसी अन्य से करावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रार्थना पत्र जरिये **Registered Ad.** वास्ते जाहिर करने वजह कर पत्रावली दिनांक 07.04.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	दिनांक 7/4/22 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राज कार्य स्थगन होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 6-5-22 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
06.05.22	पत्रावली पेश हुई। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद खारिज हो चुका है अतः इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दिनांक 16.03.22 को न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है। पत्रावली	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला—दौ

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म	....बनाम.. मु.नं.
	कौशल कुमार होकर नम्बर से कम हो।
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner